न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर,
आर.ए.एस.

परिवाद संख्या — 3/2014

प्रार्थी:—	बनाम	अप्रार्थी:—
सरकार जरिये श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर हाल पाली		मालिक व विक्रेता महेन्द्रकुमार पुत्र श्री रामारामजी,माली, मण्डी के पीछे, जालोर, मोटर साईकिल नं. आर जे 16, एस.डी.3529 हाल–रामदेव कॉलोनी,हनुमान मंदिर के पास, जालोर

अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(।।) एफएसएसए एक्ट 2006 विनियम 2011

उपस्थिति :–
1.प्रार्थी पैरोकार की ओर से श्री गजेन्द्रकुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर उपस्थित।
2.श्री सुरेन्द्रकुमार दवे,अप्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 19.6.2018

1. प्रार्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पन्न कर रहे है और प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 775/10.8.11 के अनुसार प्रार्थी को कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर आवंटित किया गया है। क्रमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना क्रमांक/प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.10.2013 को दौराने गश्त सुबह 8.00 ए.एम. पर रामदेव कॉलोनी ,हनुमान मन्दिर के पास, जालोर पर पहुंचने पर वहां मौजूद महेन्द्रकुमार पुत्र रामाजी मिला जो कि मोटर साईकिल नं. आर जे 16,एस डी 3529 पर दूध बैच रहा था जिसको जिसको प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया, दूध विक्रेता से नाम पता पूछने पर मालिक व विक्रेता होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ वर्ष 2013 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने नही होना जाहिर किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक व विक्रेता व उपस्थित गवाहान् की उपस्थिति में मोटर साईकिल पर रखे हुए तीन दूध के ड्रम ,प्रत्येक में जिनमें लगभग 20–20 लीटर दूध रखा हुआ है। पता करने पर महेन्द्रकुमार ने बताया कि उक्त मिक्स दूध है और बिक्री वास्ते है,जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5'ए' भरकर दिया, प्रपत्र 5 ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की, जिस पर प्रार्थी के, गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5'ए' देने से पहले प्रार्थी ने विक्रेता को बता दिया था कि मिक्स दूध का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहा है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक व गवाहान् उपस्थिति एक कैन के मिक्स दूध को हिलामिलाकर एक रूप कर दो लीटर मिक्स दूध वास्ते जांच हेतु क्रय कर एक साफ सूखी एवं खाली स्टील की भगोनी में लिया जिसकी कीमत विक्रेता को 44/–रू. नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी व मालिक तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान को कांच की चार साफ सूखी एवं खाली शीशी दिखाकर उक्त खरीदसुदा मिक्स दूध को चार बराबर–बराबर भागो में बांटकर चारो साफ सूखी एवं खाली शीशी में डाला एवं प्रत्येक शीशी में 40–40 बूंद फार्मलीन की बतौर प्रीजरवेटीव डाली गई। इन चारों नमूना शीशी को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये ,जिस पर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कोड व सिरियल नम्बर 0–308 व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रार्थी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना शीशी पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना शीशी को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरो को सफाई से मोडकर गोद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना शीशी पर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जालोर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक 0–308गोद से नियमानुसार चारो नमूना शीशी के मुंह से पेंदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना शीशी को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद सीलमुहर किया, एक सील नमूना शीशी के मुंह पर ,एक सील पेंदे पर ,दो नमूना शीशी की बॉडी पर, जहां पर धागे की गांठ लगाई,पर चपडी लगाकर सीलबंद व सीलमुहर किया जिस पर विक्रेता व गवाहान ने नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । नियमानुसार नमूना लेकर चारो सीलबन्द नमूना शीशी को अपने जाब्ते में लिया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर,सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर ,सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहूंचकर फार्म न.6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना शीशी सील की थी। एक नमूना शीशी मय फार्म नं.6 की एक प्रति आउटर कंवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, दो फार्म नं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर,चपडी से सील मोहर कर श्री श्रवणसिंह क.लि. के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राज. को दिनांक 21.10.2013 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की । दो सीलबन्द नमूना शीशी तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं.6 की प्रतियां आउटर कवर मे चपडी से सीलबन्द कर,सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को दिनांक 23.10.2013 को प्रार्थी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र क्रमांक /एफएसएसए/ 2013/5386दिनांक 20.11.2013 के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या एल एस/553/एक्ट /2013/557 दिनांक 31.10.13 के द्वारा मालूम हुआ कि प्रार्थी द्वारा लिया गया मिक्स दूध का नमूना Sub Standard/does not conform पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा दूध विक्रेता को मूल जांच रिपोर्ट ,पत्र क्रमांक एफएसएसए /2013/5386 दिनांक 20.11.2013 के साथ जरिये डाक रजिस्ट्री से भेजा। उक्त प्रकरण से सभी कागजात् डी.ओ.व मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालोर को प्रार्थी द्वारा पेश कर दिये थे। डी.ओ.एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने पत्र क्रमांक/ एफएसएसए/ 2014/414 दिनांक 27.1.2014 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कैस में न्याय निर्णयन् आवेदन प्रस्तुत करने

हेतु प्राधिकृत किया। उक्त विक्रेता महेन्द्रकुमार ने Sub Standard/does not conform दूध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है ।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र आवंटन की प्रति, नमूना खरीद बिल असल, फार्म नं.5ए असल,मौका फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुश्त पर),खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना संख्या 0–308प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना 0–308की जमा रसीद मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ एसएसए/ 2015/5386 दिनांक 20.11.2013मय जांच रिपोर्ट नं. एल एस /553/एक्ट/2013/557 दिनांक 30.10.2013 डाक से अप्रार्थी को भेजने की रजिस्ट्री की रसीद आदि प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 3.2. 2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत् नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 5.3.2014 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेन्द्रकुमार दवे, वकील उपस्थित आये।

5. अप्रार्थी के वकील को दिनांक 24.5.17 से 25.10.17 तक जवाब पेश करने हेतु मौका दिया लेकिन जवाब पेश नही किया है।

6 इसमें मुख्य रूप से सरकारी पैरोकार व साक्ष्य सं.1–श्री दिलीपसिंह,खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बयान दिनांक 23.5.18 को लिये गये, इसके अलावा अन्य गवाह गौण होने से बुलाना उचित ही समझा गया।

7.. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं परिवाद में वर्णित तथ्यों,प्रकरण के साथ संलग्न दस्तावेजात्, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बयान दिनांक 23.5.18,खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच–रिपोर्ट संख्या एल एस/ 553/ एक्ट/ 2017/557 दिनांक 31.10.2013से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी से लिया गया मिक्स दूध का नमूना Sub standard/does not conform पाया गया जिसके लिए अप्रार्थी

दोषी प्रतीत होता है। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011की धारा 51 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त को मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त मिक्स दूध विक्रय करने से खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)के उल्लंघन करने से उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अप्रार्थी पर 25000/–रूपये अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड– "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि " में दिनांक 19.6.18 से एक माह की अवधि में नियमानुसार जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 19.6.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

S.d.
(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

क्रमांक/ कोर्ट/2018/618–621 दिनांक 19.6.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज.जयपुर।
2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर
3.श्री दिलीपकुमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि.जालोर हाल पाली।
4.अप्रार्थी–श्री महेन्द्रकुमार पुत्र रामारामजी, जाति माली, निवासी मण्डी के पीछे,जालोर मोटर साईकिल नं.आर जे 16,एस डी 3529

S.d.
(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर